

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/11/19

पत्रावली पेश हुई। जवाब स्टेट हेतु पर्याप्त अवसर
दिये जा चुके हैं किन्तु जवाब आदिनांक पेश नहीं
किया गया है अतः जवाब स्टेट बन्द किया जाता
है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर० टी० एक्ट
पर उभय पक्ष को सुना गया। दिनांक 20.6.13
को जारी अर्खाई निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म
किया जाता है। वादगत भूमि के मौके व रिकार्ड
की अवस्थिति तौफिसला दावा उभय पक्ष बनाये रखें
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे

